<u>न्यायालय : वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना, न्यायक्षेत्र मेड़ता, जिला नागौर</u>

पीठासीन अधिकारी : श्री राजेश्वर विश्नोई (आर.जे.एस.)

दीवानी मूल प्रकरण संख्या – 06/2025

उम्मेदाराम बनाम विजयराज वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.05.2026	वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी विजय सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 सीपीसी आदेश 8 नियम 6ए से 6जी सीपीसी पेश कर कथन किया गया है कि उक्त विवादग्रस्त भूमि से संबंधित विवाद का अंतिम निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। उक्त स्वीकृत एवं निर्णीत तथ्य है। उक्त दावा बस्तीराम की ओर से पेश किया गया व दावा में पट्टा मनसुख व स्थायी निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही गई थी। उक्त दावा में वादी उम्मेदाराम को बचाव व हमला करने का पूरा अधिकार था व उक्त अधिकार का उपयोग भी किया गया है। उक्त पूर्ववर्ती दावा में वादी उम्मेदराम द्वारा काउन्टर क्लेम पेश किया जा सकता था, जो नहीं किया गया व कब्जा तथा बेदखली का दावा पेश किया जा सकता था, जो नहीं किया गया है। विवादग्रस्त भूमि से संबंधित तमाम विवाद्यकों पर विस्तृत निर्णय पूर्ववर्ती वाद में निर्णीत किया जा चुका है। पश्चातवर्ती वाद Principle of Resjudicata से बाधित होने से पोषणीय नहीं है, खारिज योग्य है। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वाद पत्र खारिज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र की नकल वकील वादी को दिलाई गई, जिनकी ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का लिखित जवाब पेश कर कथन किया गया है कि उक्त वाद उम्मेदराम का कब्जासुद व पटटासुद होना मानकर ही वादी बस्तीराम के कायम मुकाम का वाद खारिज किया गया था, जिसमें काउन्टर क्लेम पेश करने की जरूरत ही नहीं थी। जब प्रतिवादी उम्मेदराम का ही उक्त	

जायदाद पर कब्जा होना साबित हुवा है, तब बेदखल के दावे करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी व ना ही कोई औचित्य था। प्रतिवादीगण द्वारा वादी का कब्जासुद जायदाद में अनावश्यक दखलन्दाजी करने पर नये बिनाय दावा के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है तथा पूर्व वाद में वादी के हक में स्थापित कानूनी अधिकारों को सुरक्षित रखने हेतु नये विनाय दावा पर यह वाद प्रस्तुत हुवा है, जिसमें रेस्ज्यूडिकेटा लागू नहीं होता व ना ही यह पश्चातवर्ती वाद की श्रेणी में आता है। अतः प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

सुना गया एवं बहस के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह सही है कि बस्तीराम द्वारा वादी उम्मेदराम के विरूद्ध प्रस्तुत वाद पत्र का न्याय निर्णयन हो चुका है और उक्त न्याय निर्णय में प्रतिवादी के पिता बस्तीराम द्वारा वादी के विरूद्ध विवादित संपत्ति के संबंध में किए गए सिविल वाद को न्यायालय द्वारा खारिज किया गया था, परंतु हस्तगत वाद पत्र उम्मेदराम द्वारा विवादित भूमि को स्वयं के स्वामित्व एवं कब्जे का होना बताते हुए वाद हेतुक में निम्न अंकन किया है :–

''विनाय दावा बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 विरूद्ध प्रतिवादी सं. 1 ता 5 तब पैदा हुआ, जब दिनांक 25.04.2023 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा प्रतिवादी विजय राज द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका खारिज कर दी व किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नहीं किया, तब प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने इनके भोग–उपभोग में दखल पैदा करने का षड्यन्त्र रचा व दिनांक 01/07/2024 को वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं. 6 अपने उक्त प्लॉट में निर्माण कार्य करवाने हेतु कार्य कर रहे थे, तब प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने इनको गालियां निकालते हुवे पत्थर फेंके व प्लॉट का भोग–उपभोग नहीं करने देने व स्वयं कब्जा करने की धमकियां दी, तब बेमुकाम डेगाना गांव पैदा हुआ।''

इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी का हस्तगत वाद पत्र विवादित संपत्ति को स्वयं के स्वामित्व की होना बताते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाहने के कारण वाद हेतुक दिनांक 01.07.2024 से उत्पन्न होने के कारण वाद पत्र पेश किया गया है और वाद हेतुक पृथक होने से वादी का वाद पत्र रेस्ज्यूडिकेटा से बाधित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादी विजय सिंह की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी आदेश 2 नियम 2 सीपीसी आदेश 8 नियम 6ए से 6जी सीपीसी अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली वास्ते जवाब दावा हेतु दिनांक 27.07.2026 को पेश हो।